समन्वित ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज

*डॉ. श्रीनिवास मिश्र** डॉ. बी.एन. पटेल

ग्रामीण विकास में पंचायती राज व्यवस्था की सार्थकता का परिदृश्य गहराई से झांकता है । वस्तुतः कल्याणकारी संस्थाओं की कल्पना और उन्हें मूर्त स्वरूप देने में व्यापक सोच की झलक वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी सुनिष्चित कर उन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनता और प्रशासन के बीच स्थानीय स्तर पर कडी का काम करती है । जे.एस.मिल. लाड डायसी आदि चिंतकों की मान्यता थी कि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्वायत्व संस्थाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और उन समस्याओं का सही निदान भी वे ही खोज सकती हैं ।

ग्रामीण विकास का एक मात्र विकल्प पंचायत राज प्रणाली :—सूचना प्रौद्योगिकी की अकल्पनीय सामर्थ्य से भौगोलिक दूरियों पर अंकुश लगा और सम्पूर्ण विश्व एक ग्राम की छवि में बदलता नजर आ रहा है। आर्थिक सुधार और उदारीकरण की लहर ने विश्व स्तर पर राजनीति को गौण बनाते हुए अर्थव्यवस्था को महत्ता प्रदान की है वही पंचायती राज सरीखी प्राचीन भारतीय संकल्पना पर सार्थक चर्चा एवं क्रियान्वयन निश्चय ही ग्रामीण विकास के लिए वरदान साबित हो सकती है। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान की है वहीं विकास कार्यक्रमों में दलित, पिछडा व महिलाओं की प्रत्यक्ष भूमिका को नेतृत्व, कानून, नीति, आर्थिक सशक्तीकरण व लैंगिक समानता के उद्देश्य से समन्वित कर पंचायतों ने दलित, पिछडा व महिला आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

विकास में दलित, पिछडा व महिलाओं की भूमिका:— आधुनिकता के वर्तमान दौर में समाज में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति का परिदृष्य बहुत उत्साह जनक नहीं है। लाखों, करोडों महिलाएं गरीबी, शोषण, उत्पीडन, सामाजिक उपेक्षा तथा आर्थिक परालम्बन के कारण दयनीय जीवन व्यतीत करने की अभिशप्त है । महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों की इस स्थिति में सुधार लाने के लिये महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों की इस स्थिति में सुधार लाने के लिए महिलाओं को ही मिलकर प्रयास करने का प्रयास करना होगा । पंचायती राज व्यवस्था इस कार्य हेतु उपयुक्त एवं सशक्त माध्यम हो सकता है । स्वतंत्रता के बाद सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोग आदि के प्रयासों से महिलाओं के द्वार खुले अवश्य हैं परन्तु जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में दलित, पिछडा व महिलाओं में जागरूकता नहीं बढती विकास के सारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। ग्रामीण विकास व कल्याण परक कार्यक्रमों में महिलाओं को सहयोगी बनाकर समन्वित ग्रामीण कार्यों को बढावा दिया जा सकता है। कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:—

1. **जनसंख्या नियंत्रण** :—भारत सरकार में घोर गरीबी और व्यापक निरक्षरता, विशेषकर दलित, पिछडा व महिलाओं की निरक्षरता के कारण प्रजनन दर और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। महिलाएं अपने स्वभाव और विशिष्ट क्षमताओं के कारण अन्य किसी की अपेक्षा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम में अधिक कारगर भूमिका निभा सकती है ।

2. **स्वास्थ्य एवं साफ सफाई** :—शिक्षा का स्तर सामाजिक, आर्थिक विकास को प्रभावित करता है तथा इससे सामाजिक एवं आर्थिक हित के व्यापक क्षेत्रों की जानकारी मिलती है । स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का पालन—पोषण आयोजनों ओर पोषण के बारे में महिलाओं की विशेष भूमिका है ।

3. **कृषि व्यवसाय व पर्यावरण के क्षेत्र में** :—समन्वित ग्रामीण विकास का अहम मुद्दा कृषि और कृष्येत्तर कार्यों जैसे (पशुपालन, मत्स्य विकास, मुर्गीपालन) खाद्य प्रसंस्करण आदि कार्यक्रम पंचायत समितियों के माध्यम से महिलायें प्रयास कर सकती है। परम्परागत व्यवसाय, लघु एवं कुटीर उद्योगों का संचालन स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलायें आपसी समझ व सहयोग द्वारा गांव के समग्र विकास की कल्पना को साकार कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑगनवाडी, वनरोपडी आदि सहायक कार्यों का संचालन कर पर्यावरण को सुधारनें में मदद मिल सकती है।

4. **समाज कल्याण कार्यक्रम** :—ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की गरिमा, समानता, भेदभाव विहीनता एक न्यायपूर्ण और समन्वित सामाजिक ढॉचे का निर्माण विकास गतिविधियों और निर्णय में सीधी भागेदारी आदि मानवाधिकारों की पुनर्स्थापना में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में ग्रामीण समुदाय में विशेष कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन कृषि श्रमिक व वृद्ध व विकलांग के कल्याण परक कार्यक्रमों का पंचायतों के माध्यम से संचालन करने में दलित, पिछडा व महिलाओं की अहम भूमिका हो सकती है।

5.**ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सशक्तीकरण**:—ग्रामीण भारत ही सभी विकास कार्यक्रमों का आधार है। पंचायती राज

* सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय अमरपाटन, सतना
** सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, अमरपाटन, सतना

व्यवस्था साधन सम्पन्न एवं अधिकार सम्पन्न बनें। पंचायत गॉव की प्रतिनिधि सभा होने के नाते ग्राम सभा की बैठकों में दलित, निर्धन और महिलाओं की सक्रिय भूमिका निर्वाचन प्रतिनिधियों तथा सरकारी तंत्र मे बीच महत्वपूर्ण कडी का काम कर सकती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गॉव के संशाधनों का समुचित उपयोग कर आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त किया जा सकता है।

विकास कार्यक्रम कियान्वयन की बाधाएं :—ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन में अनेक बाधाएं आ रही हैं। सत्ता में बैठे लोग अपने अधिकारों को आसानी से निकलने देना नहीं चाहते। यह स्वाभाविक भी है कि प्रशासनतंत्र में सदियों से अधिकार जमाये लोग कैसे सत्ता के विवेन्द्रीकरण को स्वीकार कर लें फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए बल्कि अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वैचारिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक है। पंचायती राज व्यवस्था में ईमानदारी, सहभागिता आपसी विश्वास, नैतिकता एवं निःस्वार्थता का अभाव है। सुविधा सम्पन्न व्यक्ति भू—स्वामी अपने हितों में योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं । गुटवाजी, जातीयभावना, ऊंच—नीच का भेदभाव भी इन संस्थाओं के उद्देश्य पर कुठाराघात कर रहे हैं। वर्तमान में आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक भ्रष्टाचार से ग्रसित नेतृत्व के निजी स्वास्थ्य से समाज दिग्भ्रमित है ऐसे में पंचायतें कैसे ग्रामीण विकास की सशक्त भूमिका निभा सकती हैं । यह चिन्ता और चिन्तन का विषय है ।

वैश्वीकरण व ग्रामीण विकास की चुनौतियॉ :— वैश्वीकरण एक बहुआयामी खुली एवं वृहद सामाजिक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण को आगे बढाने वाले प्रेरक बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेष और विश्व सूचना संकुल की स्थापना की प्रमुख उद्देश्य है। वैश्वीकरण का सर्वाधिक विरोधाभास पहलू समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य से जुडे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कोई स्थान न मिलना है। जिससे भारतीय समाज की शक्ति संरचना में भागीदारी और नीति निर्धारण में साझेदारी से बंचित रहने की प्रकल संभावना है। वैश्वीकरण एवं अर्थव्यवस्था से खाद्यान्न आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हट जाने से भारतीय बाजार अमेरिका व यूरोपीय देशों से पट जायेगा। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म होगी और वे दुर्दशा के शिकार होंगे। कृषि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक फसलों के लिये होने से सम्पन्न वर्ग की आय तो बढ रही है परन्तु निर्धन की क्रय क्षमता निरन्तर कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यापारी खाद्यान्नों की काला बाजारी कर रहे हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर रसूखदारों एवं कृष्येतर कार्यों पर लगे लोगों की आजीविका छिन रही है। कृषि जोत से हदबन्दी हटाना, निर्माण प्रक्रिया एवं निर्मित माल पर पेटेन्ट हमारी शोध एवं विकास प्रक्रिया को बाधित कर देगी। ग्रामीण जीवन के आधार वृक्ष, औषधीय उत्पाद एवं वनोत्पाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, से हम बंचित रह जायेंगे । परम्परागत उद्योग, स्वेदशी निर्माण एवं लघुउद्योगों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मार लाखों लोगों की जीविका को छीनकर उन्हें बेकार, बदहाल व अभिशप्त जीवन जीने को विवश कर रही है । सूचना क्रान्ति के नित नए आकर्षक व लुभावने विज्ञापन हमारी पीढी को अंधी विलासिता की ओर ढकेलकर उन्हें अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं कुल मिलाकर नई अर्थव्यवस्था से भावना का लोप पश्चिम का अंधानुकरण, सामाजिक—सांस्कृतिक विरासत से विमुख कर ग्रामीण समाज को ऐसे मोड पर पहुचा रहा जहॉ सब कुछ होते हुए भी हम अपने नहीं रह जायेंगे।

नौकरशाही एवं पंचायती राज :—भारत में पंचायतों की प्राचीन परम्परा के वावजूद स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक अधिकार देने एवं सत्ता का विकन्द्रीकरण की प्रक्रिया में कई प्रकार के टकराव और संघर्ष भी अपरिहार्य है। टकराव मुख्यतः सत्ता का केन्द्र बनी रही नौकरशाही और उस सत्ता के दावेदार लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच है। नौकरशाही आसानी से अपनी शक्तियां छोडना नहीं चाहती वह किसी न किसी रूप में अडचने पैदा करती है। पंचायत राज प्रणाली को एक नए रूप में सामजस्य पूर्ण तरीके से काम कर लोकतंत्र की रक्षा और सुदृढता के लिये सक्रिय भूमिका निभानी होगी ।

पंचायतीराज व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास हेतु सुझाव:—पंचायतराज व्यवस्था के लिये हमें चारित्रिक और नैतिक शक्ति का विकास करना होगा । प्रख्यात समाजशास्त्री काम्टे की मान्यता है कि भौतिक, वौद्धिक और नैतिक शक्ति ही सामाजिक पुनर्जागरण एवं प्रगति के घोतक हैं । अतएव भौतिक संसाधनों के विकास के साथ—साथ जनसहभागिता और परोपकार की भावना का उदय होना आवश्यक है। व्यक्ति, परिवार और समाज के स्तर पर वैचारिक चिन्ता एवं चिन्तन के बिना सामाजिक, समरसता, सदभावना, सहयोग, सेवा और समर्पण कोरी कल्पना होगी जो पंचायती राज का मूल मंत्र है । ग्रामीण विकास हेतु पंचायतें, निम्न कार्य कर सकती हैं :—

1.मानव विकास के अधिकार संपन्नता अर्थात् सुविधा रहित निर्धन व्यक्तियों को उनके अधिकार जैसे—भोजन, स्वास्थ्य को देखभाल शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना। 2. अन्त्योदय की कल्पना की सार्थकता की दिशा में ग्राम सभा में महिला, दलित व निर्धन वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना। 3. सामाजिक न्याय व अधिकारिता के क्षेत्र में निर्धन, बिकलांग, वृद्ध व निराश्रित व्यक्तियों के लिये कल्याणकारी योजना का निर्माण कर स्थानीय संसाधनों से कोश संग्रह करना। 4. पंचायतें जनसख्या स्तरीकरण, स्वच्छता, महिला एवं शिशु बिकास, स्वच्छ पेयजल, बाल श्रम पर रोंक आदि क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। 5. हाट बाजार, पर्व, उत्सव, मेले आदि के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक क्रिया कलाप का आयोजन एवं धरोहर का संरक्षण। 6. स्थानीय कोश के उपयोग एवं जन सहभागिता से भण्डारण, बंजर भूमि, पडत भूमि, का विकास, हथकरघा उद्योग का विकास, जल संभरण क्षेत्र विकास, उद्यानिकी आदि कार्यों के माध्यम से

विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं । 7. पंचायतें महिला स्व समूहों का सशक्तीकरण कर ग्रह उद्योग जैसे पापड, बरी, आचार, हस्त एवं शिल्पकला कढाई, सिलाई आदि कार्यों से आमदनी वृद्धि को प्रोत्साहित करें । 8. पंचायतों की सफलता चुने हुए प्रतिनिधियों में जागरूकता, नेतृत्व विकास व दायित्व बोध की पारस्परिक भावना पर निर्भर है । अतः प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण विकास से जुडे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सतत् प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण, नवाचार का मूल्यांकन भी समय–समय पर अनिवार्य रूप से किया जावे । 9. पंचायतों की अपनी स्थाई निधि का निर्माण करना चाहिए । कुछ कार्य जैसे फलोद्यान, औषधीय उत्पाद का संग्रह, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान, आटा चक्की आदि के विक्रय व विपणन के माध्यम से । 10. पंचायतों के कार्यों, स्वयं की निधि एवं षासकीय निधि का विकासात्मक व कल्याणपरक उपयोग के लिए पारदर्षिता व जवाबदेही सुनिश्चित कर निरीक्षण की व्यवस्था की जावे ।

निष्कर्ष:– भारतीय समाज में यह विडम्बना है कि यहां हर व्यक्ति अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करता है, लेकिन जैसे ही सामूहिक जिम्मेदारी की बात आती है वह उसमें अपना योगदान देने से कतराने लगता है । नये पंचायतीराज अधिनियम में पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ग्राम सभा के माध्यम से दिये गये । ग्राम सभा सामूहिक जिम्मेदारी का प्रश्न है । हमारी मानसिकता स्वयं के प्रत्यक्ष लाभ की है, ऐसी स्थिति में ग्राम सभा के माध्यम से शासन तंत्र आम आदमी के हांथ में कैसे पहुंच गया ? हमारा चिंतन का विषय यह है कि किस प्रकार से लोगों की सोच को व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठाकर समष्टि स्तर पर लाया जाये ताकि पूरे गांव के हित की सोचें, योजनाएं बनायें और अपने गांव के संसाधनों को नियोजित विकास की दिशा में लगायें। हमारी पंचायतों का यह परम कर्तव्य है कि ग्राम स्वरोजगार के सपने को समाज के अन्तिम छोर तक बैठे व्यक्ति पर सही रूप से साकार करें । गांव स्तर पर लोकतंत्र ज्यादा मजबूत हो, विकास गति तेज हो इसके लिए दृढ संकल्प एवं इच्छाशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी ।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. एम. असलम ''पंचायती राज व्यवस्था विकास के तरीके बदलाव की जरूरत,'' कुरुक्षेत्र, वर्ष 43, अंक 6, अप्रैल 1998. 2. डा0. निकुंज और प्रो0 जैन ''पंचायती राज व्यवस्था, एक दृष्टिकोण निकुंज प्रकाशन बडवानी (म.प्र.) 3. डा0 महिपाल ''73वें संविधान संशोधन को अधिकार कारगर बनाने की जरूरत'' कुरुक्षेत्र, 44, अंक 6, अप्रैल 1999. 4. डा0 सिंह एवं सिंह ''ग्रामीण समाजशास्त्र'' विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली– 2000. 5. डा0 दुबे एवं सिंह ''समन्वित ग्रामीण विकास'' जीवनधारा प्रकाशन, वाराणसी 1985.